दिनांक 23.01.2025
प्रेस विज्ञप्ति 34/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट आगरा/थाना फतेहाबाद

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 23.01.2025 को थाना फतेहाबाद व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम पीपरीपुर ईंट भट्टे के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त मुकेश को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बदायूँ व कमिश्नरेट आगरा के विभिन्न थानो में चोरी, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना फतेहाबाद पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना फतेहाबाद पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मुकेश निवासी ग्राम धनूपुरा थाना कादरचौक जनपद बदायूँ।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना मीरापुर

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 03 लाख 63 हजार रूपये नगद बरामद**

दिनांक 22.01.2025 को थाना मीरापुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अभियुक्त अंकित को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 03 लाख 63 हजार रूपये नगद बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 19.01.2025 को थाना मीरापुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मीरापुर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपया चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना मीरापुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अंकित निवासी पिपराई थाना सादाबाद जनपद हाथरस, हालपता योगमाया मंदिर के पास कस्बा व थाना मीरापुर जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1–चोरी के 03 लाख 63 हजार रूपये नगद।

जनपद हरदोई/थाना कछौना

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण आदि बरामद**

दिनांक 23.01.2025 को थाना कछौना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 05 अभियुक्तों 1–अमरपाल 2–हरपाल 3–मंगल 4–राजकपूर 5–सत्यम को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 05.01.2025 को थाना कछौना क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कछौना पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कछौना पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अमरपाल निवासी ग्राम मिलकिया थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर।

2—हरपाल निवासी ग्राम मिलकिया थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर।

3—मंगल निवासी ग्राम बलरामपुर थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर।

4—राजकपूर निवासी ग्राम रावतपुर थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर।

5—सत्यम निवासी मुंशीपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।

बरामदगी

1—चोरी के (पीली—सफेद) धातु के आभूषण आदि।

जनपद बाराबंकी/थाना मोहम्मदपुर खाला

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 22/23.01.2025 को थाना मोहम्मदपुर खाला पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बेलहरा से सीतापुर बार्डर की तरफ कैथा भुण्ड जंगल मोड़ के पास बदमाश की घेराबन्दी की गई तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त नन्हे उर्फ नेत्रपाल घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बरेली के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, सीएस एक्ट आदि के 11 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना मोहम्मदपुर खाला पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—नन्हे उर्फ नेत्रपाल निवासी राजपुर गौटिया थाना अलीगढ़ जनपद बरेली।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद मेरठ/थाना सरूरपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 22.01.2025 को थाना सरूरपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भूनी चौराहे के पास चेकिंग के दौरान बदमाश की घेराबन्दी की गई तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त सरफराज उर्फ बूटन घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मेरठ, बागपत, बुलन्दशहर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 24 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सरूरपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सरफराज उर्फ बूटन निवासी ग्राम हर्रा थाना सरूरपुर जनपद मेरठ।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद कुशीनगर/थाना कोतवाली हाटा

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 04 लाख रूपये कीमत के 720 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब**
- **02 चार पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 23.01.2025 को थाना कोतवाली हाटा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 02 अभियुक्तों 1–सुनील 2–संजय को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 04 लाख रूपये कीमत के 720 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब, 02 चार पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कोतावली हाटा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुनील निवासी धिकाडा थाना दादरी सदर जनपद चरखी दादरी हरियाणा।

2–संजय निवासी निमली थाना सदर दादरी जनपद चरखी दादरी हरियाणा।

बरामदगी

1–लगभग 04 लाख रूपये कीमत के 720 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब।

2–02 चार पहिया वाहन आदि।

- **कमिश्नरेट लखनऊ/थाना आशियाना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 45 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

कमिश्नरेट लखनऊ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय लखनऊ द्वारा थाना आशियाना पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/363/506 भादवि व 5(जे)(2)/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अनुज उर्फ डब्बू को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 45 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद गोरखपुर/थाना गोला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा थाना गोला पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304(2) भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त संगम को 07 वर्ष के सश्रम कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

एस0टी0एफ0–अभियुक्तों द्वारा संगठित गिरोह बनाकर विदेशी/चीनी नागरिकों को गेमिंग, ट्रेडिंग, लोनिंग ऐप एवं डिजिटल अरेस्ट द्वारा धोखाधड़ी एवं अन्य अवैध गतिविधियों हेतु भारतीय नागरिकों के बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर गिरोह के 03 सदस्य गिरफ्तार।

दिनांक 22–01–2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को अभियुक्तों द्वारा संगठित गिरोह बनाकर विदेशी/चीनी नागरिकों को गेमिंग, ट्रेडिग, लोनिंग ऐप एवं डिजिटल अरेस्ट द्वारा व अन्य अवैध गतिविधियों हेतु भारतीय नागरिकों के बैक खाते उपलब्ध कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर गिरोह के 03 सदस्यों को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1– नवरत्न सिंह खुराल उर्फ रोबी पुत्र स्व0 रघुबीर सिंह खुराल निवासी प्लाट नं0 13, टीपी–13, शुभ टेनामेन्ट थाना फतेहगंज, जनपद बड़ोदरा, गुजरात।

2– तनवीर पुत्र गुलतार अली निवासी ग्राम परतापुर, थाना बीबीनगर, जनपद बुलन्दशहर।

3– शाकिब शेख पुत्र शेख अहमद निवासी ग्राम चोपडा, थाना जलगांव, जनपद जलगांव, महाराष्ट्र। हाल पता गोसिया मस्जिद के पास, शाहीन बाग, दिल्ली ।

बरामदगी–

1– 01 अदद लैपटाप

2– 08 अदद मोबाइल फोन

3– 01 अदद पासपोर्ट

4– 05 अदद आधार कार्ड

5– 04 अदद मोबाइल सिम कार्ड (जो बैंक एकाउन्ट में रजिस्टर्ड है)

6– 05 अदद चैकबुक

7– 22 अदद डेबिट/क्रेडिट कार्ड

8– 150 रूपया नगद भारतीय करेन्सी

9– 80 रूपया नेपाली करेन्सी तथा अन्य दस्तावेज ।

<u>गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः–</u>

कार्यालय एस0टी0एफ0 यूनिट गौतमबुद्धनगर, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर क्षेत्र दिनांक 22–01–2025 समय 21.30 बजे।

विगत काफी दिनों से एसटीएफ उत्तर प्रदेश को अपराधियों द्वारा चीनी नागरिकों को धोखाधड़ी करने के उद्देश्य से भारतीय लोगों के बैक खाते उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हो रही थी। जिसके सम्बन्ध में श्री राजकुमार मिश्र, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ, नोएडा एवं श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ नोएडा के पर्यवेक्षण में टीम गठित कर उप निरीक्षक श्री अवध नारायण चौधरी/उप निरीक्षक श्री दीपक कुमार के नेतृत्व में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान एस0टी0एफ0 नोएडा की टीम को दिनांक 22–01–2025 को मुखबिर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि अभियुक्तों द्वारा संगठित गिरोह बनाकर विदेशी/चीनी नागरिकों को गेमिंग, ट्रेडिग, लूविंग ऐप द्वारा धोखाधडी एवं अन्य अवैध गतिविधियों हेतु भारतीय नागरिकों के बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले गिरोह के सदस्य थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले घण्टा गोल चक्कर के पास आने वाले हैं। तदोपरान्त सूचना को विकसित करने के उपरान्त नोएडा की टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर घण्टा गोल चक्कर के पास से तीन व्यक्ति उपरोक्त को दिनांक 22–01–2025 को पूछताछ हेतु एस0टी0एफ0 कार्यालय नोएडा लाया गया। तीनों व्यक्तियों से गहनता से जानकारी की गयी तो सम्पूर्ण पूछताछ के उपरान्त पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर उपरोक्त तीनों व्यक्तियों को समय लगभग 21.30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त नवरत्न सिंह खुराल ने पूछताछ पर बताया कि उसकी उम्र लगभग 40 साल है और उसने बी0टेक/सिविल इंजीनियरिंग किया हुआ है। बताया कि उसने वर्ष 2016–17 में एक प्राइवेट कम्पनी में जॉब किया था, उसके बाद अपनी कन्सट्रक्शन कम्पनी खोलकर सामुदायिक शौचालय

बनाने का काम प्रारम्भ कर दिया था। इसके बाद अभियुक्त नवरत्न सिंह खुराल फेसबुक पर यू0एस0डी0टी0 सम्बन्धित विज्ञापन देखकर उनमें रूचि लेने लगा और इसी दौरान उसकी मुलाकात टेलीग्राम ऐप के माध्यम से डी0के0के0, मैगी, हू जियांग, के0टी0एम0 नामक चायनीज व्यक्ति से होने लगी। इनके बाद इनमे बातचीत होना प्रारम्भ हो गयी और चायनीज व्यक्तियों ने उसको भारतीय नागरिकों से अवैध रूप से धन प्राप्त करने के सम्बन्ध में बताया। तभी से वह भारतीय नागरिकों के साथ धोखाधडी कर रहा है।

पूछताछ में उसने बताया कि ये चाईनीज नागरिक नेपाल में रहकर अवैध गतिविधियॉ संचालित कर रहे हैं। जानकारी करने पर विदित हुआ है कि अभियुक्त नवरत्न सिंह खुराल का एक दोस्त सिद्वार्थ है, जो लखनऊ में रहता है और सिद्वार्थ के माध्यम से ही अभियुक्त नवरत्न सिंह खुराल सिंह की मुलाकात अभियुक्त तनवीर से हुई थी। इसके अलावा अभियुक्त शाकिब की मुलाकात अभियुक्त नवरत्न सिंह खुराल से चीनी नागरिक द्वारा टेलीग्राम ऐप पर कराई गयी थी।

उल्लेखनीय है कि ठगी के इस कार्य के लिए चायनीज व्यक्तियों को भारतीय नागरिकों के बैक खातों की आवश्यकता होती है, जिनमें धोखाधडी से प्राप्त किये गये धन को ट्रान्सफर किया जाता है। गिरफ्तार किये गये तीनों व्यक्तियों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय लेनदेन में Fema व अन्य वित्तीय नियमो से बचने के लिए यह लोग USDT क्रिप्टों करेंसी के माध्यम से हवाला के जरिये भारतीय सुरक्षा एजेन्सियों की नजरों से बच कर धन का आदान प्रदान करते हैं। इसी प्रक्रिया में अभियुक्त नवरत्न सिंह खुराल को अभियुक्त तनवीर और शाकिब द्वारा भारतीय नागरिकों के बैक खाते एवं उनकी समस्त जानकारी (जैसे खाते की चैक बुक, पैनकार्ड, ए0टी0एम0 कार्ड, आधार कार्ड एवं खाते में दर्ज कराये गये मोबाइल नम्बर आदि) उपलब्ध कराये जाते हैं, जिनको अभियुक्त नवरत्न सिंह खुराल, चीनी नागरिकों को भेज देता है, जो नेपाल और थाईलैण्ड में बैठकर भारतीय नागरिकों से फ्रॉड करके धन की प्राप्ति करते हैं। इस कार्य के लिए चीनी नागरिकों से अभियुक्तगणों को अच्छा कमीशन प्राप्त होता है। संयुक्त रूप से पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आया कि इन अभियुक्तगणों का जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा राज्यों में भी नेटवर्क है, जहॉ से ये विभिन्न श्रोतों से भारी संख्या में MULE एकाउन्ट प्राप्त करके सीमापार बैठे चीनी नागरिकों को पैसे के बदले में उपलब्ध करा रहे थे। इस सम्बन्ध में और अधिक छानबीन की जा रही है। अभियुक्त नवरत्न सिंह खुराल ने पूछताछ पर यह भी बताया कि उसने माह सितम्बर वर्ष 2024 में गुरूग्राम हरियाणा में एक महिला को डिजीटल अरेस्ट

कर पोने 6 करोड़ रूपये की ठगी की थी। इस सम्बन्ध में थाना साईबर क्राइम ईस्ट गुरूग्राम हरियाणा में मु0अ0स0 251/24 धारा 318, 204, 61/2, 3/5 बी0एन0एस0 एवं 66 आई0टी0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत है और इस अभियोग में अभियुक्त नवरत्न सिंह खुराल वांछित चल रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त नवरत्न सिंह खुराल के विरूद्व निम्न अभियोग का पंजीकृत होना ज्ञात हुआ है–

क्र0सं	मु0अ0स0	धारा	नाम थाना	जनपद/राज्य
1	251/24	318, 204, 61/2, 3/5 बी0एन0एस0 एवं 66 आई0टी0 एक्ट	साईबर क्राइम ईस्ट गुरूग्राम	हरियाणा
2	53/2025	318(4), 338, 336(3), 340(2), बी0एन0एस0 एवं 14 विदेशी अधिनियम तथा 66 डी आई0टी0 एक्ट	सूरजपुर	गौतमबुद्धनगर

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर पर मु0अ0सं0 53/2025 धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), बी0एन0एस0 एवं 14 विदेशी अधिनियम तथा 66 डी आई0टी0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

————————